न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर राज

पीठासीनअधिकारी :— श्री संजीव कुमार खेदर, आर. ए. एस.
वाद संख्या :— 52/2024

शीर्षक

1. नरेन्द्र सिंह उर्फ पप्पूसिंह पुत्र स्व0 सुगन सिंह, जाति राजपूत, उम्र व्यस्क, निवासी बासडी गणेशपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर ग्रामीण (राज0)।

—वादी

बनाम

1.सुनहरी उर्फ सुन्दरी देवी पत्नि स्व0 सुगन सिंह
2. जगदीश सिंह पुत्र स्व0 सुगन सिंह
3.मोहन सिंह पुत्र स्व0 सुगन सिंह
4.हनुमान सिंह पुत्र स्व0 सुगन सिंह
5.भग्गू सिंह पुत्र स्व0 सुगन सिंह
6.गुलाब कंवर पुत्री स्व0 सुगन सिंह
7.मंजू कंवर पुत्री स्व0 सुगन सिंह
8.संज्जन कंवर पुत्री स्व0 सुगन सिंह
9. अन्तर कंवर पत्नि स्व0 प्रभू सिंह
10.कैलाशसिंह पुत्र स्व0 प्रभू सिंह
11.बजरंगसिंह पुत्र स्व0 प्रभू सिंह
12.रामसिंह पुत्र स्व0 प्रभू सिंह
13.रतनसिंह दत्तक पुत्र किशन सिंह

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत दुरूस्ती इन्द्राज, घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा अन्तर्गत 88, 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 15/5/26

प्रकरण संक्षेप्त में इस प्रकार है कि आराजी य यहकि हाल आराजी खसरा नं0—102 रकबा 0.6300 है0 याकै ग्राम बासडी गणेशपुरा, पटवार हल्का गोविन्दपुरा धाबाई, तहसील—शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है। उक्त भूमि की खातेदारी प्रतिवादी सं0—1 लगायत 5 के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है नकल जमाबन्दी हाल सं0—2074 से 2077 खाता सं0—98 संलग्न वाद पत्र है। यहकि हाल आराजी खसरा नं0—100 रकबा 0.2100, 95 रकबा 0.2600, 96 रकबा 1.3700, 99 रकबा 0.0700 है० कुल किता—4 कुल रकबा 1.9100 है0 वाकै ग्राम बासडी गणेशपुरा, पटवार हल्का गोविन्दपुरा धाबाई,

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राज.

तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है। उक्त भूमि की खातेदारी प्रतिवादी सं0–1, 2, 4, 5, 6 एवं प्रतिवादी सं0–10 लगायत 13 के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है नकल जमाबन्दी हाल सं0 –2074 से 2077 खाता सं0–134 संलग्न वाद पत्र है। यहकि हाल आराजी खसरा नं0–94 रकबा 0.9300 है0 वाकै ग्राम बासडी गणेशपुरा, पटवार हल्का गोविन्दपुरा धाबाई, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है। उक्त भूमि की खातेदारी वादी व प्रतिवादी सं0–1 लगायत 13 के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है नकल जमाबन्दी हाल सं0–2074 से 2077 खाता सं0–135 संलग्न वाद पत्र है। यहकि हाल आराजी खसरा नं0–101 रकबा 0.3900 है0 वाकै ग्राम बासडी गणेशपुरा, पटवार हल्का गोविन्दपुरा धाबाई, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है। उक्त भूमि की खातेदारी वादी व प्रतिवादी सं0–1, लगायत 6 एवं प्रतिवादी सं0–7, 8 सिंह के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है नंकल जमाबन्दी हाल सं0–2074 से 2077 खाता सं0–43 संलग्न वाद पत्र है। सजरा खानदान वाद पत्र में वर्णित है। इस प्रकार वादी व प्रतिवादीगण का पिता एवं पति सुगन सिंह था जिसके पांच पुत्र जगदीश सिंह, नरेन्द्र सिंह पप्पू पप्पू, सिंह, भग्गू सिंह, मोहन सिंह, हनुमान एवं तीन पुत्रीयाँ मंजू कंवर, गुलाब कंवर व सज्जन कंवर हुई है तथा सुगन सिंह की पत्नि सुन्दरी उर्फ सुनहरी वारिस व उत्तराधिकारी है। यहकि वाद पत्र के जिमन नं0–1 व 2 में वर्णित भूमि वादी व प्रतिवादी सं०–1 लगायत 8 की पैतृक हिन्दू मुश्तरफा खानदान की भूमियाँ रही है जिसमें वादी का अपने पिता सुगन सिंह के समय से 1/9 हिस्सा निहित रहा है बादी व प्रतिवादीगण सं0–1 लगायत 8 के पिता/पति के फौत होने के पश्चात उक्त भूमि का विरासत नामान्तकरण मृतक सुगन सिंह के वारिसान के नाम से खोला गया किन्तु राजस्व कर्मचारीयो व अधिकारीयो की गलती के कारण उक्त भूमि की खातेदारी में वादी का नाम सहवन से अंकित नहीं हो पाया जबकि मृतक सुगन सिंह के सभी वारिसान के नाम उक्त भूमि का विरासत नामान्तकरण खोला जाना चाहिए था। यहकि वाद पत्र के जिमन नं0–1 व 2 में वर्णित भूमि में वादी का 1/9 हिस्सा निहित रहा है तथा वादी अपने हिस्से की भूमि पर सुगन सिंह के अन्य वारिसान के साथ काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। यहकि वादी ने प्रतिवादीगण सं0–1 लगायत 9 से उनके नाम दर्ज उपरोक्त खातेदारी भूमि में बादी के नाम खातेदारी दुरूस्त करवाने हेतु कई बार कहा तो पहले तो यह कहते हुये टालमटोल करते रहे कि और कहते रहे कि कब्जा आपका है शीघ्र ही खातेदारी दुरुस्त करवा देंगे किन्तु अर्सा सात रोज पूर्व वादी के नाम उपरोक्त खातेदारी दुरूस्त कराने से इंकार हो गये व वादी को उसके हिस्से व कब्जे की भूमि से जबरन बेदखल कर स्वंय कब्जा करने व पुख्ता निर्माण कार्य करवाने की धमकी दी है। इसलिये वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक आया है।

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राज.

अन्त में निवेदन किया कि वाद पत्र के जिमन नं0–1 व 2 में वर्णित हाल आराजी खसरा नं0–102 रकबा 0.6300 है0 एवं हाल आराजी खसरा नं0–100 रकबा 0. 2100, 95 रकबा 0. 2600, 96 रकबा 1.3700, 99 रकबा 0.0700 है0 कुल किता–4 कुल रकबा 1.9100 है0 वाकै ग्राम बासडी गणेशपुरा, पटवार हल्का गोविन्दपुरा धाबाई, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर में वादी पप्पू सिंह को 1/9 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे जिसका हाल राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे एवं वाद पत्र के जिमन नं0–3 व 4 में वर्णित हाल आराजी खसरा नं0–94 रकबा 0.9300 है0 एवं हाल आराजी खसरा नं0–94 रकबा 0.9300 है0 वाकै ग्राम गोविन्दपुरा धाबाई, बासडी गणेशपुरा, पटवार हल्का तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर की खातेदारी में वादी का नाम नरेन्द्र सिंह के स्थान पर पप्पू सिंह दुरूस्त किया जावे जिसका अमल दरामद राजस्व रिकार्ड में कराया जावे साथ प्रतिवादीगण उनके नौकर, प्रतिनिधि, एजेन्ट व स्थानापन्न आदि को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से सदैव के लिए पाबंद फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 की ओर से अधिवक्ता मुकेश कुमार शर्मा ने वकालतनामा पेश कर इकबालिया जवाब दावा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 13 बाद तामील उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादी ने प्रार्थना–पत्र बाबत् नाम हजफ प्रतिवादी सख्या 9 पेश किया, जिसे बाद सुनवाई नियमानुसार न्यायहित में स्वीकार किया गया।

वकील वादी ने अपने वाद–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में अपने वाद–पत्र की ताईद की एवं वकील प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 ने अपने इकबालिया जवाब दावा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने हेतु सहमति दी।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील प्रतिवादी ने वादीगण का वाद उसके अनुतोष खण्ड अनुसार डिक्री किये जाने हेतु अपने इकबालिया जवाब दावा में सहमति दी है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि वकील वादी ने अपने वाद–पत्र के अनुतोष खण्ड में आराजी खसरा नंबर 94 रकबा 0.9300 है0 एवं 101 रकबा 0.3900 है0 वाकै ग्राम बासड़ी गणेशपुरा धाबाई तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर की खातेदारी में वादी का नाम नरेन्द्र सिंह के स्थान पर पप्पू सिंह दुरूस्त किया जावे एवं राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। इस संबंध मे पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात (यथा राशन कार्ड, आधार कार्ड, ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा धाबाई का प्रमाण–पत्र, पेन

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राज.

कार्ड) का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा धाबाई के प्रमाण–पत्र में अंकित किया गया है कि " पप्पू सिंह पुत्र सुगन सिंह जाति राजपूत निवासी बासड़ी गणेशपुरा, तहसील शाहपुरा जिला का स्थायी निवासी है। उक्त पप्पू सिंह को नरेन्द्र सिंह के नाम से भी जाना जाता है। उक्त दोनों नाम एक ही है। " उक्तानुसार प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर नरेन्द्र सिंह के स्थान पर पप्पू सिंह उर्फ नरेन्द्र सिंह दुरूस्त किया जाना उचित समझते है। वाद पत्र के अनुतोष खण्ड संख्या 1 में वर्णित आराजीयात के संबंध में पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वाद पत्र में वर्णित सजरा खानदान के मुताबिक सुगन सिंह के पांच पुत्र जगदीश सिंह, नरेन्द्र सिंह, भग्गू सिंह, मोहन सिंह, हनुमान सिंह एवं 3 पुत्रीयां मंजू कंवर, गुलाब कंवर व सज्जन कंवर है। खाता संख्या 135 के आराजी खसरा नंबर 94 रकबा 0.9300 है0 एवं खाता संख्या 43 के आराजी खसरा नंबर 101 रकबा 0.39 है0 के अवलोकन से जाहिर है कि सुगन सिंह का विरासत का नामान्तकरण स्वीकार होने से प्रत्येक वारिस के हिस्से में उनके हिस्से अनुसार भूमि आई है एवं नरेन्द्र सिंह पुत्र सुगन सिंह के हिस्से में भी भूमि आई है। इसी प्रकार जब हाल आराजी खसरा नं0–100 रकबा 0.2100, 95 रकबा 0.2600, 96 रकबा 1.3700, 99 रकबा 0.0700 है० कुल किता–4 कुल रकबा 1.9100 है0 एवं खसरा नंबर 102 रकबा 0.600 है0 वाकै ग्राम बासडी गणेशपुरा, पटवार हल्का गोविन्दपुरा धाबाई, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर की जमाबंदी के अवलोकन से जाहिर है कि नरेन्द्र सिंह अपने पिता सुगन सिंह का वारिस है लेकिन उक्त खसरा नंबरान में वादी पप्पू सिंह उर्फ नरेन्द्र सिंह का हिस्सा व नाम नहीं है, जबकि खाता संख्या 135 एवं 43 में पप्पू सिंह उर्फ नरेन्द्र सिंह का नाम व हिस्सा अंकित है। अतः प्रतिवादीगण को वादी के वाद से कोई आपत्ति नहीं होने से बल्कि सहमति होने से हाल आराजी खसरा नं0–100 रकबा 0.2100, 95 रकबा 0.2600, 96 रकबा 1.3700, 99 रकबा 0.0700 है० कुल किता–4 कुल रकबा 1.9100 है0 एवं खसरा नंबर 102 रकबा 0.600 है0 वाकै ग्राम बासडी गणेशपुरा, पटवार हल्का गोविन्दपुरा धाबाई, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर की जमाबंदी में नरेन्द्र सिंह उर्फ पप्पू सिंह का नाम व हिस्सा दुरूस्त किया जाना उचित समझते है।

आदेश

उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप वादीगण का वाद पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, शपथ–पत्र एवं वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत इकबालिया जवाब दावा अनुसार डिक्री किया जाता है एवं खाता संख्या 135 के आराजी खसरा नंबर 94 रकबा 0.9300 है0 एवं खाता संख्या 43 के आराजी खसरा नंबर 101 रकबा 0.39 है0 वाकै ग्राम बासडी गणेशपुरा, पटवार हल्का गोविन्दपुरा धाबाई, तहसील शाहपुरा जिला

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राज.

जयपुर की जमाबंदी में दर्ज नाम नरेन्द्र सिंह पुत्र सुगन सिंह हिस्सा 1/27 जाति राजपूत सा0 देह खातेदार के स्थान पर नरेन्द्र सिंह उर्फ पप्पू सिंह पुत्र सुगन सिंह हिस्सा 1/27 जाति राजपूत सा0 देह खातेदार दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं हाल खाता संख्या 134 के हाल आराजी खसरा नं0–100 रकबा 0.2100, 95 रकबा 0.2600, 96 रकबा 1.3700, 99 रकबा 0.0700 है० कुल किता–4 कुल रकबा 1.9100 है0 एवं हाल खाता संख्या 98 के आराजी खसरा नंबर 102 रकबा 0.600 है0 वाकै ग्राम बासडी गणेशपुरा, पटवार हल्का गोविन्दपुरा धाबाई, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर की भूमि में वादी नरेन्द्र सिंह उर्फ पप्पू सिंह पुत्र सुगन सिंह को मुताबिक हिस्सेनुसार 1/9 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावे। पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 15/5/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(संजीव कुमार खेदड़, आर.ए.एस.)
उप खण्ड अधिकारी, शाहपुरा
जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राज.

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा, जयपुर, राजस्थान